जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 113 वीं बैठक दिनांक 28.11.2007 को मध्यान्ह पश्चात् 1.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा आईटम संख्या 1(ग), 14, 17 व 18 एवं अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या 3 से 6 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), एजेण्डा आईटम संख्या 1(क), 5 से 13 व अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या 1 व 2 वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) एवं एजेण्डा आईटम संख्या 2 से 4, 15, व 16 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) एवं एजेण्डा आईटम संख्या 1 (ख) सहायक नगर नियोजक, जोन–6 द्वारा तैयार किया गया है, जिसका संकलित कार्यवाही विवरण :–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया–

1. श्री मोहन लाल गुप्ता, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. श्री नवरतन राजोरिया, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. श्री पी.के. पाण्डेय, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री हरि शंकर भारद्वाज, अति. आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री बी. के. दोसी, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
6. श्री नरेश कुमार शर्मा, अति. आयुक्त (एल.पी.सी), जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे–

1. श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक, (मास्टर प्लान) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री नीरज तिवाडी वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री भगवान सहाय शर्मा, उपायुक्त जोन–2, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त जोन–6, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री आकाश तोमर, उपायुक्त जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री राजपाल यादव, उपायुक्त जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री राकेश राजोरिया, उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
11. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
12. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी–स्कीम्स) जविप्रा, जयपुर।
13. श्रीमति आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक, (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
14. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, उप नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
15. श्री हीरा लाल वर्मा, उप नगर नियोजक जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
16. श्री शेरा राम, उप नगर नियोजक जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
17. श्री भरत माली, सहायक नगर नियोजक जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
18. श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
19. श्री अरूण जोशी, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा आईटम सं.:–1

विषयः– बीपीसी (ले आउट प्लान) की 112 वीं बैठक दिनांक 07.11.2007 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्ठि।

(क) योजना शिक्षा विहार (शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति) के अनुमोदन के संबंध में भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 112वीं बैठक दिनांक 07.11.07 के एजेण्डा आईटम सं. 25 जोन–9 के बिन्दु संख्या 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जावेः–

योजना मानचित्र में दर्शाई गई 30' चौडी आंतरिक सडकों को 30' चौडा ही रखा जावे, जिससे आवासीय प्रतिशत 72.47 प्राप्त होता है अतः राज्य सरकार से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की जावे।

योजना शिव वाटिका (श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति) के अनुमोदन के संबंध में भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 112वीं बैठक दिनांक 07.11.07 के अतिरिक्त एजेण्डा आईटम सं. 15 जोन–4 के बिन्दु संख्या 3 में निम्नानुसार संशोधन किया जावेः–

योजना के भूखण्ड संख्या 17 से 20 व 26 से 28 के मध्य रोड 18 फीट से 20' चौडी व भूखण्ड संख्या 21 से 25 व Existing Abadi व भू. सं. 32 के मध्य रोड 15' ही उपलब्ध है तथा इस रोड पर मौके पर मकान बने हुये भी है एवं समीपवर्ती योजना माडल टाउन 'सी' में भी 40' चौडी सेक्टर रोड में काफी निर्माण किया हुआ है जिससे 40' चौडी सेक्टर रोड रखा जाना संभव नहीं है। अतः 40' चौडी सेक्टर रोड को विलोपित करते हुये 30' चौडी सडक रखते हुये नियमन की कार्यवाही की जावे।

(ख) बीपीसी (एलपी) की बैठक 27.08.2007 के अतिरिक्त एजेण्डा के कार्यवाही विवरण में उल्लेख नहीं हुआ है इसलिए निम्न प्रकरण का कार्यवाही विवरण शामिल किया जावे।

विषयः– माधव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना करणी कोलोनी के भूखण्ड संख्या 51 से 57 के संबंध में।

दिनांक 27.08.2007 को बीपीसी (एलपी) की बैठक में जोन–6 की माधव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना करणी कोलोनी के भूखण्ड संख्या 51 से 55 तथा 56–57 बाबत् अतिरिक्त एजेण्डा के संबंध में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उचित निर्णय हेतु रखा गया। प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। उक्त योजना का अनुमोदन बीपीसी की बैठक दिनांक 10.11.2006 को किया गया था तथा दिनांक 21.05.2007 को नियमन शिविर भी आयोजित किया जा चुका है। बीपीसी बैठक दिनांक 10.11.06 में भूखण्ड संख्या 51 से 57 तक का अनुमोदन उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के निर्णय उपरान्त नियमन करने का निर्णय लिया गया था।

भूखण्ड संख्या 51 से 55 के भूखण्डधारियें ने बार–बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लिखा है कि उच्च न्यायालय में दायर वाद सं. 6801/99 एवं 1944/02 में लम्बित विवाद भूखण्ड संख्या 56 व 57 से संबंधित ही है भूखण्ड संख्या 51 से 55 बाबत् कोई विवाद नहीं है तथा रिट याचिका में भी भूखण्ड संख्या 51 से 55 का कोई उल्लेख नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में यथास्थिति Plot in dispute के संबंध में है। यह भी लिखा है कि विवादित भूखण्ड 56–57 ही है भूखण्ड संख्या

51–55 तक का नियमन बाबत कोई स्थगन नहीं है। यह अनुरोध किया है कि इनका नियमन रोकने का कोई आधार नहीं है, भूखण्ड संख्या 51 से 55 तक के भूखण्डधारियों के कब्जे भी निर्विवाद है तथा पानी बिजली के बिल भी है। विचार विमर्श के दौरान जोन उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि नान पिटीशनर श्री अमरचंद आगीवाल को पंच निर्णयानुसार विवादित स्थल भूखण्ड संख्या 57 मानते हुए उसका स्वामी माना गया है तथा उक्त पंच निर्णय को याचिकाओं में चुनौती दी गई है। श्री आगीवाल ने भूखण्ड संख्या 51 से 55 के नियमन पर स्वयं तथा अपने वकील के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत की है। आपत्ति में लिखा है कि समिति द्वारा प्लान रिवाइज करके भूखण्ड संख्या 51 के दो भाग भूखण्ड संख्या 51–ए व 51–बी कर दिये गये हैं। इसलिये यह विवाद पैदा हुआ है जबकि समिति को रिवाईज करने का अधिकार नहीं था। इस कारण भूखण्ड संख्या 51 से 55 का भी नियमन रोका जावे। प्रस्तुत आपत्ति पर बीपीसी में विचार विमर्श किया गया। समग्र तथ्यों पर विचार कर निर्णय लिया गया था कि पंच निर्णय तथा रिट याचिकाओं में विवाद की विषय वस्तु भूखण्ड संख्या 56–57 है। भूखण्ड संख्या 51 से 55 तक कोई विवाद का उल्लेख नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश भूखण्ड संख्या 56–57 के संबंध में ही है, क्योंकि Plots in dispute ये ही है।

अतः भूखण्ड संख्या 51 से 55 स्थगन से प्रभावित नहीं होने के कारण इनका नियमन किया जा सकता है। भूखण्ड संख्या 56–57 के अनुमोदन को उच्च न्यायालय के निर्णय तक रोका जाना है एवं भूखण्ड संख्या 51–55 का अनुमोदन किया जाता है परन्तु भूखण्ड संख्या 51 से 55 तक के प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर कर नियमन किया जावे। इन भूखण्डों में से कोई भूखण्ड अन्य कारणों से नियमन योग्य न हो तो तदानुसार कार्यवाही की जावे।

(ग) शेष कार्यवाही विवरण की पुष्ठि की गई।

<u>एजेण्डा आईटम सं.–2 जोन–4</u>

विषयः– विकास भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना ज्ञान विहार (ग्राम बिन्दायका) के अनुमोदन के संबंध में।

सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार 37 भूखण्डों को योजना मानचित्र में दर्शित किया गया एवं प्रस्तुत सूची में भी 37 भूखण्ड ही अंकित है। अतः सहकारी समिति के प्रस्तुत योजना मानचित्र अनुसार ही 37 भूखण्डों को स्वीकृत किया जावे।

1. योजना मानचित्र में दर्शित सुविधा क्षेत्र 330 वर्ग गज दर्शाया गया है मौके पर मन्दिर निर्मित है जिसे सुविधा क्षेत्र के अर्न्तगत ही रखा जावे।

2. सेक्टर प्लान सं. 9 पार्ट 2 में प्रस्तावित 60' चौडी सेक्टर रोड में इस योजना एवं समीपवर्ती अन्य योजनाओं में भी काफी निर्माण हो चुका है जिसे प्रस्तावित सेक्टर रोड निकाला जाना संभव नहीं है तथा मकान निर्मित हो चुके है तथा परिवार निवास कर रहे हैं। अतः इस 60' चौडी सेक्टर रोड को विलोपित किया जावे एवं प्रभावित होने वाले भू. सं. 5, 6, 6ए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26 व 27 का नियमन किया जावे।

3. योजना की सभी आंतरिक सडकों को 30' चौडा रखा जावे।

4. योंजना के भूखण्ड संख्या 2 में दुकान निर्मित है दुकान हटाये जाने के उपरांत ही भूखण्ड का नियमन किया जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना का अनुमोदन किया जावे।

<u>एजेण्डा आईटम सं. –3 जोन–5</u>

विषयः– दी अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्रीपुरम के भूखण्ड संख्या 130 व 145 के साथ व भूखण्ड संख्या 167 व 171 के सामने अनुमोदित योजना में दर्शित सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज पार्क के रूप में किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रश्नगत सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज पार्क किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा आईटम सं.:–4–जोन–5</u>

विषयः– सुल्तान नगर से स्वेज फार्म को जाने वाली सडक के अलाईनमेन्ट में आंशिक संशोधन बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं योजना के भूखण्डधारियों को सुना गया। योजना के भूखण्डधारियों द्वारा अवगत करवाया गया कि स्वेज फार्म के समीपवर्ती अन्य योजनाओं में भी हाईटेंशन लाईन के मध्य से 30'–30' दोनों ओर छोडते हुये नियमन की कार्यवाही पूर्व में जविप्रा द्वारा की जा चुकी है। जिसको दृष्टिगत रखते हुये उनकी योजना मे भी सडक की चौडाई 100' के स्थान पर 60' स्वीकृत करते हुये ही कार्यवाही की जावे।

वर्तमान में इस योजना में मौके पर 40' चौडी सडक ही उपलब्ध है। समय समय पर जारी कार्यालय आदेश एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 के आदेशों अनुसार 132 के0वी0 हाईटेंशन लाईन के मध्य से 50'–50' भूमि (भूखण्ड सीमा तक) छोडते हुये नियमन की कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में हाईटेंशन लाईन के मध्य से 30'–30' छोडते हुये अन्य योजनाओं में नियमन किया गया है जिसको दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत योजना में भी हाईटेंशन लाईन से दोनों तरफ 30'–30' छोडते हुये अग्रिम कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है। अतः समय समय पर जारी आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार से शिथिलता दिये जाने बाबत् प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे। राज्य सरकार को शिथिलता दिये जाने के अनुक्रम में प्रकरण भिजवाये जाने से पूर्व जोन स्तर पर यह सुनिश्चित किया जावे कि स्वेज फार्म के समीपवर्ती क्षेत्र में जिन योजनाओं में हाईटेंशन लाईन से 30'–30' दोनों तरफ छोडते हुये नियमन की कार्यवाही की जा चुकी है उनका उल्लेख भी प्रेषित पत्र में आवश्यक रूप से किया जावे।

<u>एजेण्डा आईटम सं:–5 (जोन–6)</u>

विषयः– निजी भूमि ग्राम झोटवाडा के खसरा नं. 1147 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा में भूखण्डों के व्यावसायिक/नियमन बाबत।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। इस खसरा के उपविभाजित तीन भूखण्डों का पूर्व में पारिवारिक उप विभाजन के मध्यनजर जोन स्तरीय समिति से निर्णय होकर नियमन किया गया है। इसके मद्देनजर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अन्य भूखण्डों का भी इस खसरा के सामने स्थित मास्टर विकास योजना–2011 की सडक (खातीपुरा रोड) की निर्धारित चौडाई का क्षेत्र

छोडकर; आन्तरिक सडके नियमानुसार रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नियमन के लिए जारी आदेशों की पालना करते हुए; नियमन किया जावें। यह भी निर्णय लिया गया कि बीपीसी (ले आउट प्लान) योजना मानचित्रों के अनुमोदन के लिए है अतः इस प्रकार के रूपान्तरण प्रकरण जोन स्तर से निर्णित किये जावें।

एजेण्डा आईटम सं:–6 जोन–6

विषयः– खुदाबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मदीना नगर के भूखण्ड संख्या 30 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

समिति द्वारा उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 30 मदीना नगर को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं.–7 (जोन–7)

विषयः– माधव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गोम्स डिफेन्स कॉलोनी में 1125.00 वर्ग मीटर सुविधा क्षेत्र का शिक्षण संस्था में एण्डयूज परिवर्तन के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर गोम्स डिफेन्स कॉलोनी के सुविधा क्षेत्र 1125 वर्गमीटर का एण्डयूज सुविधा क्षेत्र से शैक्षणिक संस्थान हेतु निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं:–8 जोन–7

विषयः– ग्राम सुशीलपुरा के खसरा नं. 192 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा एवं 313.81 वर्गमीटर भूमि अधिक होने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्रुप हाउसिंग हेतु एकल पट्टा जारी किये जाने बाबत राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के मद्देनजर आवेदक के स्वामित्व की भूमि से अतिरिक्त 313.81 वर्गमीटर भूमि को स्कीम नं. 9 (पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति) के सुविधा क्षेत्र के साथ जोडे जाने के जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा आईटम सं:–9 जोन–7

विषयः– संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना ऑफीसर्स कैम्पस ब्लॉक शिफ्टिंग एवं 40 फीट सैक्टर रोड की चौडाई के संबंध में।

समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा आईटम सं.–10 (जोन–7)

विषयः– राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विनायक विहार–ए के भूखण्ड संख्या 69 की मौके की स्थिति अनुसार अनुमोदन हेतु।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार भूखण्ड संख्या 69 को मौका स्थिति अनुसार नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं:–11 जोन–7

विषयः– भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना ढांका नगर योजना के भूखण्ड संख्या 61 से 64 नॉट अप्रूव्ड एरिया में प्रभावित होने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 4–5 दिसम्बर 2006 के अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 8 पर लिये गये निर्णयानुसार योजना ढाका नगर के भूखण्ड संख्या 61 से 64 के सामने स्थिति 80 फीट चौडी सडक की चौडाई 60 फीट की जा चुकी है। तदानुसार भूखण्ड संख्या 63 व 64 को जोन के प्रस्ताव अनुसार निर्माण योग्य क्षेत्रफल उपलब्ध हो रहा है अतः इन भूखण्डों को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं:–12 जोन–7

विषयः– नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विद्युत नगर–बी के भूखण्ड संख्या 11 के साईड सैटबेक ऑमिट करने के संबंध में।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर योजना के अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड संख्या 11 के साइड सैट बैक को निरस्त किये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

एजेण्डा आईटम सं:–13 जोन–7

विषयः– जय अम्बे कॉ–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड की योजना प्रताप नगर के भूखण्ड संख्या 29, 38, 39 एच.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों पर कोस हटाये जाने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि एच.टी. लाईन के केन्द्र से 17.5 मीटर (57 फीट छः इंच) सुरक्षा दूरी छोडकर योजना के भूखण्ड संख्या 7, 8, 10, 28, 29, 38 व 39 का नियमन कर दिया जावें।

एजेण्डा आईटम सं:–14 जोन–8

विषयः– इन्दिरा गृह निर्माण सहकारी समिति की येाजन श्री कुशल नगर सांगानेर के भूखण्ड संख्या 111, 112 को स्वीकृति के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। यह योजना पूर्व में स्वीकृत है तथा एच.टी. लाईन के नीचे आने वाले भूखण्डों को एच.टी. लाईन हटने के पश्चात् स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था। अब मौके पर भूखण्ड संख्या 61, 62, 102, 103, 111, 112, 203, 204 के ऊपर से एच.टी. लाईन हट गई है। इसलिए इन सभी भूखण्डों को स्वीकृत कर नियमन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं.:–15–जोन–9

विषयः–निजी खातेदारी की योजना प्रीम प्रोविन्स निर्णय के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण को स्थगित कर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं.:–16–जोन–9

विषयः– शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रोहिणी नगर के भूखण्ड संख्या 57 ए को सुविधा क्षेत्र से मुक्ति बाबत्।

प्रश्नगत भूखण्डधारी का नाम सदस्यता सूची में अंकित है। सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने बाबत् जारी आदेश के तहत आवेदक द्वारा दिनांक 13.11.2001 से पूर्व के रहवास के सबूत प्रस्तुत किये हैं सहकारी समिति द्वारा आवेदक को जारी पट्टा एवं साईट प्लान में भूखण्ड का क्षेत्रफल 100 वर्ग गज दर्शाया गया है अतः आवेदक का 100 वर्ग गज का भूखण्ड मौका स्थिति अनुसार स्वीकृत करते हुये नियमन की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा आईटम सं:–17 जोन–11

विषयः– निजी खातेदार मैसर्स ओमेक्स कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. की योजना ओमेक्स सिटी अजमेर रोड़, जयपुर के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं.–18 जोन–11

विषयः– सेक्टर प्लान 51, 52, 53, दर्शित 60 फीट चौडी सेक्टर रोड के संशोधन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। पूर्व में अनुमोदित सेक्टर प्लान में प्रार्थी श्री जयकृष्ण जाजू मु.आ. का भूखण्ड 200'–0" मीटर सडक से जा रही 60'–0" सडक पर स्थित है यह 60'–0" सेक्टर रोड इस भूमि के पास स्थित फार्म हाउस के अन्दर से जा रही थी। फार्म हाउस के आवेदकों द्वारा प्राधिकरण में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि इस फार्म हाउस के सामने स्थित 40'–0" सडक को 60'–0" सेक्टर रोड कर दिया जावे। प्रकरण बीपीसी (एलपी) की बैठक में रखा गया जिसमें पूर्व में अनुमोदित 60'–0" सडक को विलोपित करते हुए फार्म हाउस के सामने 60'–0" सेक्टर रोड को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था।

चूँकि पूर्व सेक्टर प्लान के अनुसार आवेदक को साईट प्लान व पट्टा जारी किया जा चुका है। इसलिए आवेदक ने उनके भूखण्ड के सामने 60'–0" सडक पूर्वानुसार रखे जाने का निवेदन किया है। आवेदक के प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि 200'–0" से जो 60'–0" की सडक पूर्व में प्रस्तावित थी उसी सडक को फार्म हाउस की 60'–0" चौडी सडक से मिला दिया जावे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओ पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिये गयेः–

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या–1 (जोन–2)

विषयः– ड्राफ्ट सैक्टर प्लान 45 (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के पास लगते हुये क्षेत्र) के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये :–

1. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के पीछे ग्राम जेसल्या के खसरा नं. 29 पर से प्रस्तावित 30 मीटर चौडी सडक को इसके पश्चिम की ओर स्थित वर्तमान सडक के स्थान पर नाले के सहारे संशोधित कर प्रस्तावित किया जावे। इस स्थान पर प्रस्तावित 18 मीटर चौडी सडक व 24 मीटर चौडी सडक को मौके पर स्थित निर्माणों के मद्देनजर विलोपित किया जावें।
2. श्री सन्तोष जैमन द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को जेडीए एक्ट की धारा 16 (आर) के प्रावधानों के परिपेक्ष में निरस्त की जावें।

3. जोनल अभियंता, जोन–2 द्वारा प्रेषित आब्जर्वेशन के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिये गये :–

(i) विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य सडक जो बढारना की मुख्य सडक है को अनुमोदित योजनाओं के अनुरूप 24 मीटर चौडाई की रखी जावें सैक्टर प्लान में तदानुसार संशोधन किया जावें।

(ii) बढारना मुख्य सडक पर स्थित पुलिस चौकी के आगे रीको की योजना की सडकों का नेटवर्क रीको के योजना प्लान के अनुसार रखा जावें। सैक्टर प्लान में तदानुसार संशोधन किया जावें।

4. स्वास्तिक इनर्जी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के खसरा संख्या 29 ग्राम जेसल्या के औद्योगिक रूपान्तरण के प्रकरण पर उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावें।

5. सैक्टर प्लान को उपरोक्तानुसार संशोधन कर जारी किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या–2 (जोन–12)

विषयः– सैक्टर 48–49 पर प्रस्तुत आपत्ति के लिये सुनवाई बाबत।

समयाभाव के कारण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या–3 जोन–12

विषयः– तक्षशिला फार्म हाउस ग्राम सेवापुरा आमेर जयपुर के मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधित फार्म हाउस खसरा नम्बर 150/514, 151 से 159, 162, 163, 164, 165/511, 166, 167, कुल किता 14 रकबा 12.51 हैक्टैयर भूमि ग्राम सेवापुरा तहसील आमेर के फार्म हाउस के मानचित्र को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या–4 जोन–11

विषयः– मैसर्स सहारा इन्डिया प्रा0लि0, की योजना सहारा सिटी, टोंक रोड के अनुमोदन के संबंध मे।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या–5 जोन–11

विषयः– बाबा आर. एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नेहा नगर के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या–6 जोन–12

विषयः– श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना शक्ति नगर में भूखण्ड संख्या 21 के स्थान पर 20बी व भूखण्ड संख्या 22 के स्थान पर 20 ए अंकित करवाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना शक्ति नगर में भूखण्ड संख्या 21 के स्थान पर 20बी व भूखण्ड संख्या 22 के स्थान पर 20 ए अंकित करने का निर्णय लिया गया।

5/12/07

सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :– जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2007/डी– 636

दिनांक :– 05/12/07

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता
3. माननीय विधायक श्री नवरतन राजोरिया
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन ..... जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
12. उपायुक्त (समन्वय) जविप्रा, जयपुर।

5/12/07

सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)